न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

अध्यक्षता – *ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस*

राजस्व प्रथम अपील संख्या 347/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैसलमेर।		1- सलेमी पत्नी रभू खां 2- मगन खां पुत्र रभू खां 3- कबूल खां पुत्र रभू खां 4- कमला पत्नी रभूखां सभी कौम मुसलमान साकिन आलम का गांव, खुईवाल, तहसील जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 28.2.2014 जो राजस्व प्रार्थना प्रार्थना पत्र संख्या 9/2013 मे सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर अनवान रभुखां बनाम राजस्थान सरकार द्वारा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पर पारित किया गया ।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित
2. श्री श्री बी. के. मेहर अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस 1से 4 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 23.10.218

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस के पिता रभू खां ने उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि आवंटन सलाहाकार समिति ने दिनांक 22.6.1971 को सर्वसम्मति से उसे 75 बीघा भूमि गांव खुईयाला मे खसरा नं. 311 मे आवंटन की गई थी। भूलवंश प्रार्थी

को आवंटित भूमि का रेकर्ड मे लिपिकीय गलती के कारण रेकर्ड मे इन्द्राज होने से रह गया, जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त है। अतः अपीलान्ट को आवंटित 75 बीघा भूमि का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.2.2014 के द्वारा 75 बीघा भूमि रभूखां के नाम से राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज कर प्रार्थी के पक्ष मे पूर्व मे स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 182 दिनांक 16.6.1973 अनुसार खातेदारी प्रदान करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

हमने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रार्थना पत्र पर विवादित भूमि को रभुखां के नाम दर्ज करने आदेश दिये है। धारा 136 मे रिकार्ड ऑफ राइट मे हुई किसी गलत प्रविष्टि को ठीक करने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे कोई भी ऐसा दस्तावेज नही है जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित भूमि मे किसी भी वर्ष की जमाबन्दी मे मृतक रभु खां के नाम रही हो तथा बाद वाली जमाबन्दियों मे उसका नाम हटकर गलती से भूमि राजकीय अंकित कर दी हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 के अन्तर्गत दिया गया आदेश क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर दिया गया है, अपीलाधीन आदेश मे कानून के प्रावधान का भारी उल्लंघन हुआ है। उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश को यथावत रखना न्यायोचित नही होगा। यदि रभु खां को भूमि का विधिवत आवन्टन हुआ था तथा नामान्तरकरण भी भरा गया थे, तो उसे अधिकारों की घोषणा हेतु नियमित वाद सक्षम न्यायालय मे दायर करना चाहिए था, जिसमे साक्ष्य सबूतों के आधार पर वैधानिक आदेश पारित किया जा सकता है। धारा 136 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उपस्थित रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से बहस की तथा लिखित मे आपत्तियां भी पेश की। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की प्रथम प्रारम्भिक आपत्ति है कि रेस्पोडेन्ट रभु खां की मृत्यु दिनांक 11.1.2016 को हो चुकी थी, जबकि यह अपील दिनांक 30.3.2016 को पेश की गई थी। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध दायर की गई अपील चलने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट रभु खां द्वारा ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया था तथा उसी आधार पर यह अपील तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत की गई है। तामील हेतु भेजे गये नोटिस के उपरान्त यह जानकारी मे आया कि रेस्पोडेन्ट रभु खां की मृत्यु हो चकी है। उसके बाद अपीलान्ट ने उसके वारिसों को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि आदेश 22 के अन्तर्गत अपील दायर करने से पूर्व मृत हो गये व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर नही लिया जा सकता। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन मे 2014 (2) आर.आर.टी 873 दृष्टान्त प्रस्तुत किया। जिसमे तर्क दिया है कि अपील दायर करने से पूर्व ही किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, तो उसके कानूनी वारिसों को आदेश 22 सीपीसी के प्रावधानों के अर्न्तगत रिकार्ड पर नही लिया जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दूसरी आपत्ति परिसीमा के सबंध मे कर कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश दोनों पक्षों की उपस्थिति मे पारित किया गया है अतः धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जो कारण बताये है वे उचित नही है। अपीलान्ट ने पत्र दिनांक 3.4.2014 द्वारा उक्त आदेश की पालना हेतु पटवारी को पत्र भी लिखा था। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को आदेश की जानकारी पूर्व मे ही थी, इसके बावजूद अपीलान्ट ने उक्त अपील अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की है। इसलिए उक्त अपील इसी आधार पर निरस्त योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलान्ट निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस मनन किया तथा अधीनस्थ पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की प्रथम प्रारम्भिक आपत्ति है कि रेस्पोडेन्ट

रभु खां की मृत्यु दिनांक 11.1.2016 को हो चुकी थी, जबकि यह अपील दिनांक 30.3.2016 को पेश की गई थी। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध दायर की गई अपील चलने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट रभु खां द्वारा ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्था भू राजस्व अधिनियम 1956के तहत प्रस्तुत किया गया था तथा उसी आधार पर यह अपील तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत की गई है। तामील हेतु भेजे गये नोटिस के उपरान्त यह जानकारी मे आया कि रेस्पोडेन्ट रभु खां की मृत्यु हो चकी है। उसके बाद अपीलान्ट ने उसके वारिसों को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आदेश 22 के अन्तर्गत अपील दायर करने से पूर्व मृत हो गये व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर नही लिया जा सकता। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन मे 2014 (2) आर.आर.टी 873 दृष्टान्त प्रस्तुत किया। यह सही है कि अपील दायर करने से पूर्व ही किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, तो उसके कानूनी वारिसों को आदेश 22 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत रिकार्ड पर नही लिया जा सकता है। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आदेश 22 के अन्तर्गत नही है। आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अन्तर्गत मृत व्यक्ति को पक्षकार हटाकर उसके वारिसों को पक्षकार जोडा जा सकता है। चूंकि प्रकरण मे वारिसों को पक्षकार बनाया जा चुका है, ऐसी स्थिति मे इस आधार पर अपील को खारिज करना उचित प्रतीत नही होता है ।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दूसरी आपत्ति परिसीमा के सबंध मे कर कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश दोनों पक्षों की उपस्थिति मे पारित किया गया है अतः धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जो कारण बताये है वे उचित नही है। अपीलान्ट ने पत्र दिनांक 3.4.2014 द्वारा उक्त आदेश की पालना हेतु पटवारी को पत्र भी लिखा था। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को आदेश की जानकारी पूर्व मे ही थी, इसलिए अपील इसी आधार पर निरस्त योग्य है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत अपीलान्ट ने देरी का कारण प्रशासनिक व्यस्तता तथा आदेश अवैधानिक होना बताया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों मे यह निर्धारित किया है कि यदि अपीलाधीन आदेश पारित करने मे कानून का भारी उल्लंघन हुआ हो तो अपीलय न्यायालय